धारा 80 : कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय

किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम का संदाय, धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने को अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु जहां किसी अंतिम तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है वहां उस तारीख को संदेय संपूर्ण बकाया अतिशेष शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना को ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली के लिए दायी होगा।

उपयुक्त नियमः नियम 158

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–20, जीएसटी डीआरसी–21